रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 27, 2014/ ज्येष्ठ 6, 1936

No. 279] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 27, 2014/JYAISTHA 6, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2014

सा.का.नि. 359(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप–धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत–तिब्बत सीमा पुलिस बल, पशु परिवहन काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम–2010 की अनुसूची में कांस्टेबल (पशु परिवहन) के पद से संबंधी कम संख्यांक–4 के स्तंभ 8 में शीर्ष "सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं" के अधीन पैरा संख्यांक 2 में, उपशीर्ष के अधीन "शारीरिक मानक" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

(क) ऊंचाई

(i) पुरुष के लिए

(क) साधारण प्रवर्ग या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 170 सें.मी. होगी।

(ख) गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 सें.मी. होगी।

(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 162.5 सें.मी. होगी।

(ii) महिला के लिए

(क) साधारण प्रवर्ग या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157 सें.मी. होगी।

(ख) गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 155 सें.मी. होगी।

(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ऊचांई 150 सें. मी. होगी।

(ख) छाती

(i) पुरुष के लिए

(क) साधारण प्रवर्ग या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए छाती की माप न्यूनतम 5 सें.मी. फुलाव के साथ 80 सें.मी. होगी

(ख) गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर राज्य से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए छाती की माप न्यूनतम 5 सें.मी. फुलाव के साथ 78 सें.मी. होगी

(ग) अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सें.मी. फुलाव के साथ 76 सें.मी. होगी।

(ii) महिला के लिए

महिला अभ्यर्थियों के लिए छाती की माप की न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) वजन : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के अनुपात में (पुरुष और महिला के लिए)

[फा. सं. 1/12013/1/2012–संगठन]

हरीश चन्द्र, निदेशक (पर्स–1)

टिप्पण:– मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप–खंड (i) में, सा.का.नि. 656(अ), तारीख 4 अगस्त, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि. 266(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2014

G.S.R. 359(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment Rules, 2010, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come onto force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indo-Tibetan Border Police Force, Animal Transport Cadre (Non-gazetted) Recruitment Rules, 2010, in the Schedule, against serial number 5 relating to the post of Constable (Animal Transport), in column 8, under the heading "Education and other qualifications required for direct recruits" , in paragraph number 2, under the sub-heading "Physical Standard", the following shall be substituted, namely:—

" (A) Height

(i) For male

(a) For candidates belonging to General category or the Scheduled Castes or Other Backward Classes, height shall be 170 cms.

(b) For candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir height shall be 165 cms.

(c) For candidates belonging to the Scheduled Tribes, height shall be 162.5 cms.

(ii) For Female

(a) For candidates belonging to General category or the Scheduled Castes or Other Backward Classes, height shall be 157 cms.

(b) For candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir height shall be 155 cms.

(c) For candidates belonging to the Scheduled Tribes, the height shall be 150 cms.

(B) Chest

(i) **For male**

(a) For candidates belonging to General category or the Scheduled Castes or Other Backward Classes chest measurement shall be 80 cms. with minimum 5 cms. expansion.

(b) For candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir chest measurement shall be 78 cms. with minimum 5 cms. expansion.

(c) For candidates belonging to the Scheduled Tribes chest measurement shall be 76 cms. with minimum 5 cms. expansion.

(ii) **For Female**

There shall be no minimum requirement of chest measurement for female candidates.

(C) **Weight** : Proportionate to height and age as per medical standard (for males and females).".

[F. No. I.12013/1/2012-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)

Note:—The principal notification were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 4th August, 2010 *vide* number G.S.R. 656(E) and subsequently amended *vide* number G.S.R 266(E), dated the 23rd April, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054